

क्रि० मिस० केश नं०- 312 / 2017

15/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान बाद की वैचनिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उमय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान बाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

गाँडा।

9/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

गाँडा।